2018 में जिले को मिलेंगी 114 किमी नई सड़कें

30/4/2017

न्यायधानी सहित जिले के लोगों को 2018 में रोड कनेक्टिविटी के लिए 114 किलोमीटर नई सड़कें मिलेंगी। शहर में दो सड़कें फोरलेन तथा जिले में दो बाई पास रोड का काम चल रहा है। सभी सड़कों की लागत 260 करोड़ के करीब है। शहर की सड़कों में गुरुनानक चौक से तोरवा पुल, नेहरू चौक से उसलापुर, कोनी से बिरकाेना रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी तरह जिले में एडीबी के दो बड़े प्रोजेक्ट भी अगले साल पूरे होंगे। इनमें 119 करोड़ की लागत से मस्तूरी से लवण तक बनने वाली सड़क और 106 करोड़ की लागत से रतनपुर से पंडरिया रोड शामिल है।

सीवेज प्रोजेक्ट के चलते भले ही शहर भर की सड़कें नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं, परंतु पीडब्ल्यूडी ने अपनी उन सड़कों के सुधार, चौड़ीकरण का काम संभाल लिया है, जहां सीवेज का काम पूरा हो गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की शहर में कम तथा मुख्यालय के बाहर की ज्यादा सड़कों पर काम चल रहा है। नई सड़कें बनने से आम लोगों को राहत मिलेगी। अति व्यस्ततम मार्ग में नेहरू चौक से उसलापुर तक फोरलेन सड़क बनेगी। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी तरह से संजय तरण पुष्कर से इंदु चौक तक 4 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

नेहरू चौक से उसलापुर की सड़क फोरलेन बनेगी।

रायपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा

वहीं जिले में एडीबी के दो बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट शहर के दो छोर के बाई पास हैं जिनमें सिंगल लेन की सड़कों को टू लेन किया जा रहा है। इसमें माेपका से लवण तक और रतनपुर से पंडरिया की बाई पास रोड शामिल है। मस्तूरी से लवण तक की सड़क से बलौदाबाजार होते हुए राजधानी तक पहुंचा जा सकेगा। इससे रायपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और बीच में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र भी सीधे राजधानी से जुड़ सकेंगे।

मार्च 2018 तक पूरी होगी रतनपुर पंडरिया डबललेन सड़क

रतनपुर से कोटा, लोरमी होते हुए पंडरिया तक 119 करोड़ की बाई पास रोड का काम शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर का डामरीकरण हो चुका है। इसके अलावा जीएसबी 20 किलोमीटर और डब्ल्यूएमएम पांच किलोमीटर तक हो पाया है। कोटा लोरमी रोड सिंगल लेन होने के कारण बरसात के दिनों में खतरनाक हो जाती थी। इस रोड पर दुर्घटनाएं भी अधिक होती थी। अब यह सड़क डबल लेन बन चुकी है। 106 करोड़ की लागत वाली इस रोड को मार्च 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

नेहरू चौक से उसलापुर और गुरुनानक चौक से तोरवा पुल

नेहरू चौक से उसलापुर तक कुल दो किलोमीटर की सड़क नौ करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। बाहरी इलाके से शहर को जोड़ने वाला यह अति व्यस्त मार्ग है। यही वजह है कि इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी अधिक होता है। इसी तरह से गुरुनानक चौक से तोरवा पुल तक 1.5 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएगी। इस पर 9 करोड़ खर्च होंगे। डिवीजन वन से ही कोनी सबडिवीजन की बिरकोना से कोनी तक 8.4 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण को भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसका भी टेंडर प्रोसेस में है।

कहां से कहां तक किलोमीटर लागत

उसलापुर से नेहरु चौक 2 9 करोड़

गुरुनानक चौक से तोरवा पुल 1.5 9 करोड़

मस्तूरी से लवण 53 119 करोड़

रतनपुर से पंडरिया 50 106 करोड़

बिरकोना से कोनी 4 8.4 करोड़

सेंदरी से कछार 4 9 करोड़

ग्रामीण क्षेत्र सीधे राजधानी से जुड़ेंगे

मस्तूरी से लवण के बाद बलौदाबाजार कसडोल होते हुए इस रोड से सीधे रायपुर जाया जा सकेगा। इसकी कुल लंबाई 53 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 42 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं । यह सड़क एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कीम से बनाई जा रही है। पहले सिंगल लेन और जर्जर स्थिति में होने के कारण इस मार्ग पर आवागमन कम होता था लेकिन डबल लेन होने पर आवागमन तेज हो जाएगा और रायपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा।

मस्तूरी से लवण बाइपास रोड के 10 किमी का काम शेष, गुरुनानक चौक से तोरवा पुल व नेहरू चौक से उसलापुर तक बनेगी फोरलेन सड़क

चकरभाठा हवाई पट्टी के चारों तरफ बनेगी पक्की बाउंड्रीवॉल

27/4/2017

सितंबर से शुरू होने वाली हवाई सेवा के लिए चकरभाठा हवाई पट्टी को चकाचक करने उलटी गिनती शुरू हो गई है। बाउंड्रीवॉल के अलावा हवाई पट्टी बनाने व वीआईपी लाउंज निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी कर दिया है। हवाई पट्टी के चारों तरफ कांक्रीट की बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी। प्रथम चरण में जिला खनिज न्यास से पीडब्ल्यूडी को 6 करोड़ 25 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने चकरभाठा हवाई पट्टी के विस्तार व अन्य कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी के अफसरों को जरूरी ड्राइंग डिजाइन जारी की है। अथॉरिटी अफसरों की पहली प्राथमिकता हवाई पट्टी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना है। इसके लिए कांक्रीट की पक्की दीवार खड़ी करने की योजना बनाई है। 1600 मीटर कांक्रीट की पक्की दीवार खड़ी करने का निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिया है। हवाई पट्टी का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। डामरीकरण के अलावा इसे अपग्रेड करने की योजना है। अथॉरिटी अफसरों ने दो वीआईपी लाउंज की ड्राइंग डिजाइन तय की है। इसमें एक लाउंज बिलासपुर से बाहर जाने वालों के लिए व दूसरा बाहर से शहर आने वाले यात्रियों के लिए होगा। प्रथम चरण में इन सब कार्यों के लिए जिला खनिज न्यास फंड से 6 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। जिला खनिज न्यास ने राशि पीडब्ल्यूडी को जारी कर दिया है। निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। तय समय से पहले कार्य पूरा करने के लिए विभाग ने अलग-अलग कार्यों का अलग-अलग टेंडर जारी किया है। वर्कआर्डर जारी होते ही सभी कार्य एक साथ प्रारंभ किया जा सके और निर्धारित समय में पूरा हो जाए। जानकारी के अनुसार हवाई पट्टी में कार्य के लिए ठेकेदारों ने निविदा फार्म जमा कर दिया है। अगले सप्ताह सभी निविदाओं को खोला जाएगा। रेट के आधार पर ठेका कंपनी का नाम ओपन किया जाएगा। ठेका शर्तों के अनुसार अनुबंध के बाद ठेकेदारों को वर्कआर्डर जारी किया जाएगा ।

0 पीडब्ल्यूडी ने मांगे तीन करोड़

हवाई पट्टी में निर्माण कार्य को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के ईई ने कलेक्टर को पत्र लिखकर तीन करोड़ रुपए स्वीकृत करने की मांग की है। मालूम हो कि निर्माण कार्य के लिए राज्य शासन ने फूटी कौड़ी नहीं दी है। जिला खनिज न्यास की राशि का उपयोग किया जा रहा है। जाहिर है दूसरी किश्त के रूप में भी जिला खनिज न्यास से फंड जारी किया जाएगा।

0 जिला खनिज न्यास से 6 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि खनिज अधिकारी ने जारी कर दिया है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया है। अगले सप्ताह निविदा खोली जाएगी। इसके साथ ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

0 कलेक्टर के निर्देश पर हवाई पट्टी विस्तार व अन्य निर्माण कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी को 6 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

निगम से अनुमति न पुलिस को सूचना, गली-गली में अवैध हॉस्टल

24/4/2017

शहर की घनी आबादी वाली जगहों पर इन दिनों अवैध हॉस्टल की बाढ़ आ गई है। राजेंद्र नगर, इमलीपारा, विनोबा नगर, दयालबंद, नेहरू नगर जैसे इलाकों में तो डेढ़ सौ से अधिक हॉस्टल चल रहे हैं। उनमें से किसी के पास भी निगम की अनुमति नहीं है। अधिकांश ने तो पुलिस में भी अपने यहां रहने वालों की कोई सूचना या जानकारी नहीं दी है।

शहर में दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आ रहे हैं। उनके लिए शहर में रहने वाले लोग बिना किसी अनुमति के अपने घरों को हॉस्टल में तब्दील कर दिया है। जबकि उन्हें इसके लिए निगम से अनुमति लेना जरूरी होता है। उन्हें गुमास्ता लाइसेंस जारी होगा और भूमि का उपयोग आवासीय से बदलकर व्यवसायिक करना होगा। इससे निगम को बढ़ी हुई दर पर टैक्स मिलेगा। इन सब के बिना हॉस्टल खोलने से निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि अब तक इन अवैध हॉस्टलों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कभी-कभार कुछ एक पर कार्रवाई करके मामला रफा-दफा कर दिया गया। इससे निगम को हर माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे अवैध हॉस्टल उचित नहीं माने जा रहे हैं। बाहर से आए लोगों की सूचना तक हॉस्टल संचालक पुलिस को नहीं देते। इसे सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है।

कोचिंग सेटरों के कारण बढ़ा चलन बढ़ा

प्रदेश में शहर को पीएससी की कोचिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहां पीएससी की परीक्षा दिलाने वाले सैकड़ों बाहरी विद्यार्थी हर साल आते हैं। उन्हें रहने के लिए शहर में जगह चाहिए होता है, जिससे वे कोचिंग सेंटर और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के करीब रहें। इनके लिए लोगों ने अपने घरों को हॉस्टल में तब्दील कर दिया है।

स्लम एरिया में भी किराएदार

शहर की घनी आबादी में जहां लोगों ने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोल रखे हैं तो स्लम एरिया भी किराएदारों के मामले में पीछे नहीं है। शहर के चांटीडीह, लिंगिडयाडीह, दयालबंद नदी किनारे का हिस्सा, तोरवा, चुचुहियापारा आदि जगहों पर मजदूर किराए के कमरों व मकानों में रहते हैं। वहां लोगों ने अपनी झोपड़ी को बाहर से आए लोगों को किराए पर दे दी है। इसमें ज्यादातर मजदूर और छोटे व्यापारी शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहीं सबसे ज्यादा संदिग्ध माने जाते हैं। मजदूरी की आड़ में कई अपराधी ऐसे मकानों में किराए पर रहने लग गए हैं और अपराध करके आसानी से बाहर निकल जाते हैं।

यह है जरूरी

0 गुमास्ता लाइसेंस

0 भवन अनुज्ञा में बदलाव

0 संपत्तिकर का नया निर्धारण कराना

0 थाने में सूचना के साथ किराएदार की विस्तृत जानकारी

हॉस्टल चलाने वालों को निगम से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा अपने यहां रहने वालों की सूचना उन्हें पुलिस को भी देनी होती है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

मिथिलेश अवस्थी

उपायुक्त, नगर निगम

सिम्प्लेक्स को ब्लैक लिस्टेड कर दें, कहीं नहीं कर पाओगे कामः मंत्री –

21/4/2017

बार-बार चेतावनी और समझाइश देने के बाद भी आपके स्टॉफ को बात समझ में नहीं आ रही है। जहां मन आए खुदाई कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा वहां महीनों नहीं जाते हैं। स्टॉफ की संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं। काम हर बार लक्ष्य से पीछे चल रहा है। अगर आपकी 10 हजार करोड़ की टर्न ओवर वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दें तो समझ रहे हो क्या होगा। पूरे देश के सभी केंद्रीय संस्थाओं से लेकर सभी राज्यों को लिखित में इसकी सूचना देंगे। फिर हम देखते हैं कि आप कहां काम कर पाएंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने सीवरेज की ठेकेदार कंपनी सिम्प्लेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ मुंधड़ा से उक्त बातें कही। नगर निगम विकास भवन के दृष्टि सभा कक्ष में उन्होंने सीवरेज के कार्यों की ठेकेदार कंपनी के साथ समीक्षा बैठक रखी थी। इस दौरान सिम्प्लेक्स कंपनी के सारे प्रमुख अधिकारियों के अलावा नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक निरंजन दास, कलेक्टर अन्बलगन पी, नगरीय प्रशासन विभाग के चीफ इंजीनियर केके चौबे, आयुक्त सौमिल रंजन चौबे, अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता भी शामिल थे। इस दौरान मंत्री ने सिम्प्लेक्स के प्रमुख को धीमा काम करने को लेकर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपके धीमे काम से शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। हर बार काम पूरा करने की कार्ययोजना बनाई जाती है लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जहां आपकी खुदाई चल रही है वहां काम पूरा होने के बाद भी रेस्टोरेशन नहीं होता है। रेत पाटकर महीनों वहां नहीं लौटते। खुदाई के बाद मिट्टी ढुलाई के लिए आपके पास पर्याप्त वाहन नहीं है। पाइप लाइनों की सफाई नहीं हुई है। हाइड्रोलिक टेस्ट का अब तक अता पता नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो उसकी मरम्मत तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे काम करते रहे तो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जून तक दो माह और देख लेते हैं। अगर इस दौरान काम की रफ्तार नहीं बढ़ी तो आप ठेकेदारी भूल जाओ। बैठक में महापौर किशोर राय, निगम अध्यक्ष अशोक विधानी, लोक निर्माण विभाग के एमआईसी सदस्य उमेश चंद्रकुमार आदि शामिल थे।

अब नहीं देंगे समयः कलेक्टर

बैठक में शामिल कलेक्टर अन्बलगन पी ने भी सीवरेज के काम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब भी बैठक होती है उसके 15 दिन तक काम तेजी से होता है। उसके बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर त्योहार आ जाता है। त्योहार आने के तीन माह पहले और उसके बाद तीन माह काम ठप रहता है। काम ऐसे नहीं किया जाता है। अब हम समय देने की स्थिति में नहीं हैं।

बदलो स्टॉफः दास

नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक निरंजन दास ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां जिन लोगों को आपने तैनात किया है उन्हें कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता है। शहर को इन्होंने अपना दूसरा घर बनाकर रखा है। इन्हें कहीं और भेजो और दूसरी जगह का स्टॉफ यहां लेकर आएं। वे नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे। मौजूदा स्टॉफ के भरोसे काम जल्द पूरा होना मुश्किल है।

पांच दिन में देंगे अंतिम एक्शन प्लान

सिम्प्लेक्स के एमडी श्री मुंधडा ने आश्वासन दिया है कि निगम अधिकारियों के साथ मिलकर वे 5 दिन के अंदर कंपनी का एक्शन प्लान निगम में जमा कर देंगे। इसमें काम को पूरा करने का चरणबद्घ कार्ययोजना होगी और जो समय सीमा इसमें तय की जाएगी उसी के अनुसार आगे काम होगा। मंत्री ने निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि इनके साथ मिलकर एक्शन प्लान को अंतिम रूप दे और उसी के अनुसार तेजी से काम पूरा कराएं।

ये हैं खामियां

- 0 टीम बढ़ाने की जरूरत
- 0 पानी टैंकर ट्रैक्टर हेड के साथ 10
- 0 प्रत्येक जेसीबी के साथ 3 ट्रैक्टर(मिट्टी परिवहन और रेत भराई के लिए)
- 0 सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त बेरिकेट्स, साइन बोर्ड और रोड डायवर्सन के लिए गार्ड
- 0 कांक्रीट कटर की जरूरत
- 0 कांक्रीट बे्रकर की जरूरत
- 0 किए गए काम का सही कंपेक्शन कराना
- 0 बेबी रोलर की जरूरत
- 0 पावर हाउस एसपीएस का अधूरा काम पूर्ण करना
- 0 जोन 1 ए में पाइप लाइन की सफाई और हाइड्रोलिक टेस्ट
- 0 जोन-2 में किए गए पुराने हाउस कनेक्शन को बदलना
- 0 सुपरवाइजरों व साइट इंजीनियरों की जरूरत
- 0 बरसात के पूर्व रेती का भंडारण करन की जरूरत

अरपा चेकडेम से फैल रही बीमारी

19/4/2017

नगर निगम अरपा नदी को बड़े नाले के रूप में उपयोग कर रहा है। पूरे शहर के नाले, नालियों का पानी सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। इसी पानी को सिंचाई विभाग देवरीखुर्द के पास चेकडेम बनाकर रोक देता है। इसके चलते दूषित पानी यहां बड़े पैमाने पर जमा हो रहा है जो नदी किनारे के भू-जल स्रोतों को भी दूषित कर रहा है। यही कारण है कि शहर में सबसे ज्यादा डायरिया के मरीज नदी किनारे के देवरीखुर्द, तोरवा और राजकिशोर नगर जैसी जगहों से मिलते हैं। निगम के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं। यही कारण है कि उन्हें सिंचाई विभाग से बीच-बीच में नदी का जलस्तर घटाने का अनुरोध करना पड़ता है।

शहर में दूषित पानी के निपटारे की अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है लेकिन दस साल से वह भी अधूरा है। अरपापार सीवरेज पूरा हो गया है, लेकिन प्रोजेक्ट में ढेरों खामियां होने के कारण लोग अपने घरों का कनेक्शन उससे नहीं जोड़ रहे हैं। इन सब बातों का सीधा असर अरपा नदी पर पड़ रहा है। शहर का पुराना निकासी सिस्टम पूरे शहर के दूषित पानी को सीधे नदी में उड़ेल देता है जो अब बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि यही दूषित पानी आगे बहने के बजाय चेकडेम के कारण बीच में ही रुक जाता है जो अब बड़ी समस्या बन गई है। नदी किनारे पेयजल सप्लाई के लिए निगम ने जितने भी पंप किए हैं वे सब इस दूषित पानी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। राजकिशोर के स्मृति वन में पेयजल सप्लाई के लिए कराए गए पंप को दूषित पानी आने के कारण साल में कई बार बंद करना पड़ता है। इसी तरह तोरवा में नदी किनारे रहने वालों ने जितने भी पंप कराए हैं उसमें भी अचानक पानी में दुर्गंध आने की शिकायत शुरू हो जाती है। देवरीखुर्द, लालखदान पहले से ही ड्राई एरिया है। यहां पानी तभी आता है जब चेकडेम में जलभराव हो। इस तरह वहां भी चेकडेम का दूषित पानी ही अपना असर दिखा रहा है। यह ऐसी समस्या है जिसका अब तक निगम कोई हल नहीं निकल पाया है।

चेकडेम खाली करने पर होता है विरोध

सिंचाई विभाग ने शहर के नीचे चेकडेम का निर्माण कर दिया है। इसके चलते उसमें शहर का दूषित पानी इकट्ठा होता है। यहां खास बात यह है कि चेकडेम को अगर खाली कर दिया जाता है तो देवरीखुर्द में लगे सारे पंप सूख जाते हैं। यही कारण है कि जब निगम के निवेदन पर सिंचाई विभाग पानी छोड़ता है तो देवरीखुर्द के ग्रामीण विरोध में खड़े हो जाते हैं।

पानी जांच के यह है मापदंड

नगर निगम पीएचई की लैब से पानी की जांच कराता है। इसके लिए 20 बिंदु तय है। इसमें से 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट ली जाती है। गंदापन 1 से 5 एनटीयू के बीच होनी चाहिए, रंग, केमिकट टेस्ट में खारापन पीएच 7 से 8.5 पीएच के बीच होनी चाहिए, कंडक्टिविटी,क्लोराइड 250 एमजी के करीब, पानी में मिनरल्स की मात्रा 500 से 1500 एमजी के बीच, क्लोरिन की मात्रा 1 से 2 पीपीएम के बीच और बैक्टिरियोलॉजी टेस्ट होता है।

चेकडेम में दूषित पानी रुकने के कारण पेयजल पर भी प्रभाव पड़ता है। नदी किनारे बोर में दूषित पानी आने लगता है। सिंचाई विभाग द्वारा चेकडेम से पानी छोड़कर जलस्तर नीचे करने पर सबकुछ ठीक हो जाता है।

अजय श्रीवासन

जल शाखा प्रभारी, नगर निगम

निगम के लोधीपारा घाट में रेत की लूट

18/4/2017

नगर निगम को शासन से लोधीपारा रेत घाट सीवरेज कार्य के लिए मिला है। यहां से निकलने वाली रेत का उपयोग केवल सीवरेज के गड्ढों की भराई करने के लिए होना है। ट्रांसपोर्टर और उत्खनन करने वालों की मिलीभगत से इस घाट की रेत बड़े पैमाने पर खुले बाजार में बिक रही है। विशेषकर सरकारी काम करने वाले ठेकेदार इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।

सीवरेज के गड्ढों में मिट्टी की पटाई होने के कारण उसके धंसने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसे देखते हुए कार्ययोजना में संशोधन करते हुए अब गड्ढों में रेत पटाई करने के लिए कहा गया है। इसके लिए शासन ने नगर निगम को शहर अंदर बंद पड़ा लोधीपारा रेत घाट एलॉट किया है। नगर निगम ने भी यहां से निकलने वाली रेत का केवल सीवरेज कार्य में उपयोग करने का नियम बनाया है। इसके बाद भी यहां की रेत बड़े पैमाने पर खुले बाजार में खपाई जा रही है। ठेकेदार ने यहां दो बड़े-बड़े पोकलेन तैनात कर दिया है। इसके जरिए बड़े से बड़े हाईवा को भी दस मिनट में भरकर रवाना कर दिया जाता है। एक के बाद एक ऐसी ही रोज दर्जनों गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। निगम का अमला कहने को तो दोपहर 3 बजे तक ही खुदाई की अनुमति देता है,लेकिन नदी में खड़ी पोकलेन उसके बाद भी गाड़ियों में रेत भरते रहते हैं। जबकि उस दौरान निगम में बेरियर में भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। दूसरी ओर निगम अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है।

नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा

नगर निगम ने रेत चोरी रोकने के लिए लोधीपारा घाट में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही थी। जो अब तक नहीं लग पाया है। इसके चलते अवैध रेत निकालने वाले खुलेआम लाखों का कारोबार कर रहे हैं। निगम का घाट उनके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है।

नेताओं की गाड़ियां भी लगीं

नगर निगम के नेताओं की गाड़ियां सीवरेज कार्य में चल रही हैं। इसका उपयोग इन दिनों रेत परिवहन में हो रहा है। उनके वाहनों से भी बड़े पैमाने पर रेत खुले बाजार में खपाई जा रही है। जबकि निगम अब तक यह सिस्टम नहीं बना पाया है कि सीवरेज के लिए कितनी गाड़ी रेत रोज चाहिए और चोरी क्या उपाए किया जाएं।

नाका तोड़कर निकाली रेत

नगर निगम द्वारा लगाए गए नाका को भी ट्रांसपोर्टरों ने तोड़ दिया था। इसके बाद भी किसी के खिलाफ ना तो एफआईआर कराई गई और ना ही निगम ने अपने स्तर से जांच की। इसके चलते भी अवैध रेत परिवहन करने वालों का हौसला बढ़ा हुआ है।

नगर निगम के घाट से केवल सीवरेज के लिए रेत निकालनी है। इसके अलावा दूसरे कार्य में रेत सप्लाई होने पर कार्रवाई की जाएगी।

सौमिल रंजन चौबे

आयुक्त, नगर निगम

टिकरापारा में सड़क की फिर होगी नाप

16/4/2017

टिकरापारा में अवैध अतिक्रमण के कारण एक मजदूर को आई चोट के बाद निगम ने फिर से इस सड़क को नापने का निर्णय लिया गया है। इस बार जिसका भी सड़क की जमीन पर कब्जा मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने टिकारापारा मन्नू चौक के पास नाली निर्माण शुरू कराया है। इसके लिए पहले हुई नापजोख में जिसका भी अतिरिक्त निर्माण पाया गया उसे खुद ही अपना कब्जा खाली करने की जवाबदारी निगम ने दे दी थी। इधर कब्जाधारियों ने या तो अपना कब्जा हटाया नहीं या बहुत थोड़े हिस्से को ही तोड़कर बाकी कब्जे को बचा लिया। इसके चलते नाली यहां तिरछी बनने लग गई है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब अवैध निर्माण की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे देखते हुए अब निगम ने फिर से सड़क को नापकर बेजाकब्जा खुद तोड़ने का निर्णय लिया है। सोमवार को उनकी नापजोख शुरू हो जाएगी।

मन्नू चौक वाली रोड की फिर से नापजोख कराई जाएगी। अगर बेजाकब्जा निकला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजकुमार मिश्रा

जोन इंजीनियर, नगर निगम

शनिचरी की 119 दुकानों में भी अवैध निर्माण, फैसला शासन के पाले में

14/4/2017

शहर के शनिचरी बाजार में भी व्यापारियों ने निगम की अनुमति के बिना बड़ी संख्या में अवैध निर्माण कर लिया है। ऐसी 119 दुकानों को नियमित करने का प्रस्ताव निगम ने शासन को भेज दिया है। गोलबाजार के अतिरिक्त निर्माण का मामला भी अभी सुलझा नहीं है।

नगर निगम ने शहर के अंदर विभिन्न जगहों पर कुल 2 हजार 289 दुकानों का निर्माण किया है। उन्हें किराए पर व्यापारियों को दिया गया है। निगम की इन दुकानों पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। इस अतिरिक्त निर्माण का निगम को न तो किराया मिल रहा है और न ही किसी तरह की प्रीमियम राशि। खास बात यह है कि व्यापारी भी निगम से समझौता करके अपने इस अतिरिक्त निर्माण को नियमित कराने को तैयार हैं। ऐसे में अड़चन यह है कि निगम के पास इन दुकानों को नियमित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके चलते मामला फं स गया है। शनिचरी बाजार में निगम के सर्वे से पता चला है कि 119 दुकानदारों ने अवैध निर्माण कर लिया है। इसे या तो तोड़ना होगा या उन्हें नियमित करना होगा। ऐसे में निगम ने इन सबका प्रस्ताव बनाकर शासन से मार्गदर्शन मांगा है। वहां से इन दुकानों से कितना प्रीमियम लिया जाय यह तय होने के बाद निगम नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। फिलहाल सारा मामला शासन स्तर पर फंसा हुआ है। शनिचरी बाजार में व्यापारियों को सीधे दुकन बनाकर दिया गया था। उनके ऊपर कई लोगों ने अवैध तरीके से तीन मंजिला भवन खड़ा कर लिया है। इससे खासी दिक्कत हो रही है। यहां दुकान के लिए दिए गए चबूतरों पर भी निगम की अनुमति के बिना दुकानें खड़ी कर ली गई हैं। इसे अब निगम भी नियमित करने के प्रयास में है। ताकि उन्हें कम से कम बढ़ा हुआ किराया और प्रीमियम के रूप में अच्छी आय हो सके।

शनिचरी बाजार की दुकानों का मामला हमने शासन को भेजा है। वहां से मार्गदर्शन आने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इधर गोलबाजार के मामले में हम व्यापारियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।

सीवरेज का रात में काम नहीं, निगम कराएगा एफआईआर

11/4/2017

शहर में अंडर ग्राउंड सीवरेज सिस्टम का काम जल्द पूरा कराने निगम ने ठेकेदार कंपनी सिंपलेक्स को रात में काम करने टीम उपलब्ध कराने कहा था, जिसे उसने इनकार कर दिया है। इसी तरह कई प्रमुख सड़कों पर काम शुरू करके उसे खाली छोड़ दिया गया है। बार-बार चेतावनी के बाद भी कोई असर नहीं होने पर अब निगम सिंपलेक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। इसके लिए उसके कोलकाता स्थित मुख्य कार्यालय को अंतिम सूचना दी गई है।

निगम प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीवरेज ठेकेदार सिंपलेक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक साल के अंदर जहां चाहे वहां की सड़क खोदने की छूट दे रखी है। काम तेजी से करने के लिए ठेकेदार को उनकी मांग के अनुसार भुगतान भी किया जा रहा है। इसके बाद भी सीवरेज खुदाई तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा। ठेकेदार अब भी 70 टीम तैनात करने के लक्ष्य से 20 टीम पीछे चल रहा है। यहां 50 टीम काम कर रही है, उनमें से भी 5 टीम ऐसी हैं जिनका नियमित कामकाज नहीं चलता। ऐसे में एक साल के अंदर सीवरेज का काम पूरा होना तो दूर, घनी आबादी में खुदाई भी पूरी नहीं हो पाएगी। इधर ठेकेदार ने रात में काम करने से भी इनकार कर दिया है। इससे मामला और उलझ गया है। लक्ष्य से बेहद पीछे चल रहे काम को देखते हुए अब निगम के अधिकारियों ने दर्ज कराएगा। इस तरह अब अधिकारी इस योजना को लेकर आर या पार की स्थिति में पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि निगम जल्द ही पूरे मामले में कोई कड़ा निर्णय ले सकता है।

सड़क बनाने में हो रही दिक्कत

सीवरेज का काम धीमी गति से होने का नतीजा यह भी हो रहा है कि सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। निगम ने पूरे शहर की 55 मुख्य सड़कों को फिर से बनाने के लिए ठेकेदार को वर्कआर्डर जारी कर दिया है। वहीं उसे काम नहीं सौंपा गया है, क्योंकि सभी मुख्य मार्गों पर सीवरेज का इंटर कनेक्शन और प्रापर्टी चेंबर बनाने का काम बचा हुआ है। इसे लेकर भी अधिकारियों ने ठेकेदार पर नाराजगी जताई है।

मंत्री की बैठक भी रही बेअसर

नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, निगम के अधिकारी और ठेकेदार कंपनी के अधिकारियों के बीच माह भर पहले बैठक हुई थी। इसमें पर्याप्त स्टॉफ और मशीनरी लगाने के कड़े निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी ठेकेदार ने अतिरिक्त टीमें नहीं लगाई। इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो सीवरेज का काम पूरा होने में दो से तीन साल का समय और लगने का अनुमान है।

ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली की दिक्कत

दोमुहानी में सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है। ठेकेदार कंपनी इसकी कमीशनिंग का काम कर रहा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली विभाग ने ग्रामीण फीडर से जोड़ दिया था। इसके चलते यहां अक्सर लाइट बंद होने का अंदेशा था। इसे देखते हुए अब नए सिरे से इसे शहरी फीडर से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर यहां अब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है।

खुदाई से खुली निगम की पोल

> शहर के अंदर जब भी सड़क निर्माण हुआ पुरानी सड़क को खोदकर उसकी जगह पर नई सड़क बनाने के बजाय उसके ऊपर ही दूसरी सड़क बना दी गई। जब सीवरेज की पाइप लाइन डालने के लिए सड़क खोदा गया तो कई जगह पर जमीन के नीचे तीन से चार लेयर में पुरानी सड़क निकली है। इससे साफ हो गया कि निगम इंजीनियर सालों से पुरानी सड़क के ऊपर ही नई सड़क बनाने का खेल कर रहे हैं। इसी के चलते कई मोहल्लों में सड़क ऊंची और घर नीचे हो गए हैं।

ठेकेदार कंपनी सिंपलेक्स का काम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है। इस संबंध में उनके मुख्य कार्यालय को अंतिम चेतावनी दी गई है। स्थिति नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।

मनोरंजन सरकार

प्रभारी सीवरेज सेल, नगर निगम

रोजाना बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, वार्ड में पानी की समस्या

9/4/2017

जिला अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। टंकी में पानी भरने के बाद भी घंटों पंप चलता रहता है। दूसरी ओर वार्डों में आए दिन पानी की किल्लत बनी रहती है।

जिला अस्पताल में बीते दो सप्ताह से मरीज पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पुराना मोटर पंप (बोर) बार-बार बिगड़ जाता है। समस्या को देखते हुए पंप को बनाया गया है। लेकिन सुधार होने के बाद कर्मचारियों की लापवाही हावी हो गई है। कर्मचारी पंप को चालू कर गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से घंटों पंप चलता रहता है और हजारों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। जिला अस्पताल में यह सिलसिला एक सप्ताह से चल रहा है। लोग इसकी जानकारी भी प्रबंधन को देते हैं, इसके बाद भी पंप को बंद करना लाजमी नहीं समझा जा रहा है।

दो दिनों तक पीने को भी नहीं मिला पानी

पिछले सप्ताह पंप खराब होने से वार्डों की पानी सप्लाई बाधित हो गई थी। इसके कारण लगभग दो दिन तक मरीजों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। लोगों को बोतल बंद पानी खरीदा पड़ा।

8/4/2017

बाजार के किराया निर्माण में नियमों का भी पेंच

गोलबाजार में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण पर निगम जहां संपत्ति का कलेक्टर दर से कीमत तय कर रहा है वहीं व्यापारी रेंट एंड कंट्रोल का नियम लगाने की मांग कर रहे हैं। इस तरह फिर एक बार सारा मामला शासन से आने वाले निर्देशों पर टिक गया है।

श्हार के सबसे पुराने बाजार में से एक गोलबाजार का निर्माण नगर निगम ने कराया है। जिसे व्यापारियों को किराए पर दिया गया है। अब विवाद व्यापारियों द्वारा दुकान के ऊपर बनाई गई दुकान को लेकर हो रहा है जिसकी अनुमति निगम से नहीं ली गई है। नगर निगम यहां जमीन के कलेक्टर दर के अनुसार पहले व्यापारियों से प्रीमियम जमा कराने के बाद किराया निर्धारण करने का नियम लगा रहा है। क्योंकि अब तक जितनी भी दुकानों की नीलामी निगम करते रहा है उसमें इसी नियम के तहत कीमत तय की जाती है। जबकि व्यापारियों का तर्क है कि कलेक्टर दर संपत्ति के खरीद बिक्री के लिए होता है किराएदारी के लिए नहीं। निगम बाजार की दुकानों को बेच नहीं रहा है उसे व्यापारियो को किराए पर दे रहा है। ऐसे में व्यापारी रेंट एंड कंट्रोल के नियमानुसार दुकानों को किराया देने की मांग कर रहा है। इस तरह मामला फिर एक बार शासन से आने वाले मार्गदर्शन पर टिक गया है। निगम के अधिकारी और व्यापारी वहां से आने वाले निर्देशों के अनुसार ही द्विपक्षीय बातचीत करने की भी बात कह रहे हैं।

अतिरिक्त निर्माण निगम को सूचना देकर कराया गया है। निगम हमें दुकान बेच नहीं रही है किराए पर दे रही है। ऐसे में किराएदारी पर कलेक्टर दर नहीं बल्कि रेंट एंड कंट्रोल का नियम लगना चाहिए।

सुधीर खंडेलवाल

संरक्षक गोल बाजार व्यापारी संघ

शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहां से जवाब आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी।

सौमिल रंजन चौबे

आयुक्त, नगर निगम

निगम की टैक्स वसूली ठप, ठेकेदार को आयुक्त ने किया तलब

7/4/2017

शहर में टैक्स वसूली का काम निजी एजेंसी मेसर्स स्पैरो सॉटटेक रांची को दिया गया है। उसे 1 अप्रैल से अपना काम शुरू कर देना था,लेकिन अब तक निगम से उसका अनुबंध तक नहीं हो पाया है। इधर वसूली का काम ठेके पर चले जाने के कारण निगम का राजस्व अमला भी खाली बैठा है। इसके चलते वसूली ठप पड़ गई है। इसे देखते हुए आयुक्त ने ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि को मंगलवार को तलब किया है। उसे जल्द अनुबंध करके काम शुरू करने कहा जाएगा।

राज्य शासन ने नगर निगम को साफ कर दिया है कि उन्हें अपने कर्मचारियों की तनख्वाह आदि का खर्च खुद वहन करना है। हर माह निगम का राजस्व अमला जितनी भी वसूली करता है वह पूरी राशि कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है। वेतन भुगतान के बाद निगम का खजाना फिर खाली। अप्रैल माह में वसूली ठप हो जाने से मई में होने वाले वेतन भुगतान पर संकट खड़ा हो सकता है। इसे देखते हुए वसूली ठेकेदार को जल्द अपना काम शुरू करने निगम अधिकारियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पूर्व में ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बुधवार को निगम से अनुबंध करने के लिए आने की बात कही थी,लेकिन वह नहीं पहुंचा। ऐसे में उसे मंगलवार को हर हाल में तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया है। आयुक्त ने ठेकेदार कंपनी के साथ अनुबंध करने उपायुक्त पूर्णिमा श्रीवास्तव को अधिकृत भी कर दिया है। कोशिश है कि कागजी कार्रवाई को जल्द निपटाकर राजस्व वसूली का काम शुरू कराया जाए, ताकि निगम में वेतन भुगतान का संकट खड़ा न हो।

ऐसे होगा ठेका ठेकेदार कंपनी स्पैरो केयर निगम की बकाया राजस्व वसूली अपने कर्मचारियों को भेजकर कराएगी। उसे सालभर में कम से कम 90 प्रतिशत वसूली करके देना होगा। बदले में निगम ठेकेदार को कुल वसूली की 7.25 प्रतिशत राशि भुगतान करेगा।

ठेकेदार के आते ही उससे अनुबंध करके वसूली का काम उसे दे दिया जाएगा। अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है।

सौमिल रंजन चौबे

आयुक्त, नगर निगम

पुलिस व निगम कर्मियों की दखल से कचरा डंपिंग विवाद शांत

4/4/2017

बिलासा ताल के पास कचरा फेंकने से मोहल्ले के लोगों ने विवाद खड़ा करते हुए दो दिनों तक जमकर हंगामा किया। पुलिस और निगम के अतिक्रमण अमले के हस्तक्षेप से अब यहां विवाद थम गया है। वहीं लोगों ने अब इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में जाने की चेतावनी दी है।

नगर निगम को अब तक कछार में कचरा फेंकने के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति नहीं मिली है। इसके चलते 20 वार्डों का सारा कचरा बिलासा ताल के पास निगम की खाली जगह पर डलवाना शुरू कर दिया था। इसे लेकर आसपास कालोनी वाले विरोध में खड़े हो गए हैं। कचरा फेंकने से मोहल्ले में दुर्गंध और प्रदूषण फैलने की बात कहते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शुरू के दो दिन निगम के कर्मचारी यहां किसी तरह कचरा फेंककर उल्टे पांव भागे थे। इसे देखते हुए अब पुलिस और अतिक्रमण अमले की मदद से वहां कचरा फेंका जा रहा है। विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के कारण डंप पूरा कचरा सीधे कछार पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद यहां कचरा डंप नहीं किया जाएगा। नगर निगम ने बिलासा ताल के पास वाली अपनी जगह को ट्रांसफर पाइंट बनाया है। शहर के अंदर से छोटी गाड़ियां यहां आएगी, उसके बाद ठेकेदार के बड़ों वाहनों से कचरा सीधे कछार पहुंचा दिया जाएगा।

बिना किसी विरोध प्रदर्शन के कोनी में कचरा डंप किया गया है। वैसे भी यह निगम की कोई स्थाई स्टोरेज पाइंट नहीं है। तत्कालिक व्यवस्था है। कुछ दिन में यहां कचरा डालना बंद कर दिया जाएगा।

डा.ओंकार शर्मा

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम

चौपाटी को निजी भूमि होने का दावा निगम ने किया खारिज

3/4/2017

नगर निगम ने कोतवाली के सामने स्थित गुमटी वालों को चौपाटी पर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। उसी जगह को दो लोगों ने निजी संपत्ति होने का दावा किया था। इसे निगम ने खारिज कर दिया है। उन्हें विधिवत सीमांकन कराने की सलाह दी गई है।

अरपा नदी के किनारे नगर निगम ने चौपाटी विकसित की थी, जो कभी बस नहीं पाया। अब इस जमीन पर बगल के दुकानदार अपना दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सामने की जमीन उनकी निजी है। इसे निगम के अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया। उन्हें बताया गया है कि पूर्व में भी उनके खिलाफ बेजाकब्जा हटाने की कार्रवाई हो चुकी है। अगर निजी जमीन होती तो उनका कब्जा क्यों तोड़ा जाता। इसी तरह एक व्यक्ति ने चौपाटी की तरफ रास्ते के लिए जगह देने की मांग की थी। इसे भी खारिज कर दिया गया है। निगम अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि उनका रास्ता फल दुकान की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है। चौपाटी की तरफ उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। इधर फिर निगम अमले ने कोतवाली के सामने गुमटी वालों को जल्द शिफ्ट होने की सलाह दी है, ताकि उनके द्वारा छोड़ी गई जगह पर रोड का निर्माण किया जा सके।

चौपाटी पूरी निगम की जमीन है। जो लोग यहां निजी भूमि बता रहे हैं, वे अपनी जमीन पर ही काबिज हैं। पूर्व में उनके खिलाफ बेजा कब्जा हटाने का अभियान भी चल चुका है।

जुगल सिंह

नजूल अधिकारी, नगर निगम

बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर से शुरू होगी हवाई सेवा

1/4/2017

नागर विमानन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के साथ अब बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर से हवाई सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इन सभी उड़ानों का संचालन हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी एयर उड़ीसा करेगी। जो सिंतबर से इन मार्गों पर उड़ान शुरू करेगी।

मंत्रालय ने प्रदेश के जिन मार्गों पर नई हवाई सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दी है, उनमें अंबिकापुर से बिलासपुर, जगदलपुर से रायपुर विशाखापट्टनम, रायगढ से रायपुर, उत्केला से रायपुर व्हाया भुवनेश्वर के बीच उड़ान संचालित होगी।

बता दें कि मंत्रालय ने हवाई कंपनियों की रुचि के बाद इन मार्गों पर उड़ान शुरू करने की मंजूरी दी है। ग्वालियर से दिल्ली के साथ अब इंदौर और लखनऊ के लिए भी सीधी उड़ान भर सकेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने देश के 45मार्गों पर नई हवाई सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इनमें अकेले मप्र के ग्वालियर से चार नई उड़ानें शुरू होगी। इनमें दो उड़ाने ग्वालियर से दिल्ली के लिए संचालित होगी।